कार्यालय जिला पंचायत रायपुर (छ.ग.)

//विज्ञापन//

क्रमांक/ /शि.स्था./शि.क.नि./जि.पं./2012 रायपुर, दिनांक

ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 20 दिसम्बर 2012

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस.भवन मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना क्रमांक/प./पग्राविवि/22/2012/1162 दिनांक 17.08.2012 में दिये गये निर्देश एवं छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 के अधीन जिला पंचायत रायपुर क्षेत्रान्तर्गत स्कुल शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण, विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित शालाओं/संस्थाओं में शिक्षक (पंचायत) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक **20.12.2012** तक **ऑन लाईन** आवेदन आमंत्रित किये जाते है । रिक्त पदों का विषयवार एवं वर्गवार विवरण निम्नानुसार है :–

पदनाम – शिक्षक (पंचायत), कुल रिक्त पद – 874

सं.क्र.	विषय	कुल रिक्त पद	(अ) कुल पद श्रेणीवार				(ब) कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में सें महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या				(स) कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से निःशक्तजन वर्ग के लिए पदों की संख्या				(द) कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से भू.पू.सै. के लिए पदों की संख्या				(इ) कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से मुक्त वर्ग के लिए पदों की संख्या			
			UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	हिन्दी	91	47	14	17	13	14	4	5	4	3 VH-1 OH- 1 HH-1	1 VH या HH	1 VH या HH	1 ANY	5	1	2	1	25	8	9	7
2	अंग्रेजी	90	46	14	17	13	14	4	5	4	3 VH-1 OH- 1 HH-1	0	1 ANY	1 ANY	5	1	2	1	24	9	9	7
3	संस्कृत	232	121	35	44	32	36	11	13	10	8 VH-2 OH- 3 HH-3	2 VH-1 HH-1	2 OH- 1 HH-1	2 VH -1 OH -1-	12	4	4	3	65	18	25	17
4	गणित	236	122	36	45	33	37	11	14	10	7 VH-3 OH- 2 HH-2	3 VH-1 OH- 1 HH-1	2 VH-1 OH- 1	2 VH -1 HH -1	12	4	5	3	66	18	24	18
5	विज्ञान	201	104	30	39	28	31	9	12	8	6 VH-2 OH- 2 HH-2	2 VH-1 HH-1	2 ANY	2 ANY	10	3	4	3	57	16	21	15
6	सा. विज्ञान	24	12	4	4	4	4	1	1	1	1 VH या HH	0	0	0	1	0	0	1	6	3	3	2
	योग	**874**	**452**	**133**	**166**	**123**	**136**	**40**	**50**	**37**	**28**	**8**	**8**	**8**	**45**	**13**	**17**	**12**	**243**	**72**	**91**	**66**

टीप :– 1. UR = अनारक्षित, SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), VH = नेत्र बाधित विकलांग, HH = श्रवण बाधित विकलांग, OH = अस्थि बाधित विकलांग,

2 रिक्त पदों की संख्या घट–बढ सकती है जिसके लिए जिला पंचायत रायपुर का निर्णय अंतिम होगा ।

नियम एवं शर्तें –

1. आवेदन **ऑन लाईन** ही स्वीकार किये जावेंगे । अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे ।

2. **वेतनमान – शिक्षक (पं.)** – रूपये 4500–125–7000 एवं शासन द्वारा समय–समय पर देय भत्ते ।

3. **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं –**

(ब) शिक्षक (पं.) हेतु – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नलिखित योग्यता हो :–

(क). स्नातक और प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी नाम से जाना जाता हों)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक एवं शिक्षा में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड)

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम के अनुसार प्राप्त किया होना चाहिए ।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए.एड/बी.एस.सी.एड.।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा) ।

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए दिशा–निर्देश के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण ।

(ग) उपरोक्त स्नातक उपाधि में स्नातक विषय निम्नानुसार होंगे :-

क्रं	**विषय**	**विषय समूह**
(1)	(2)	(3)
1	अंग्रेजी	अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो ।
2	हिन्दी	हिन्दी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो ।
3	सामाजिक विज्ञान	कोई दो विषय – इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान, इनमें से एक भूगोल या इतिहास विषय अनिवार्य होगा ।
4	विज्ञान	रसायन, बायोकेमेस्ट्री, फॉर्मसी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भू–गर्भ विज्ञान, इंजीनियरिंग विषय में स्नातक जैसे बी.ई./बी.टेक. ।
5	संस्कृत	संस्कृत साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो अथवा बी.ए. (क्लासिक्स) अथवा संस्कृत में आचार्य स्नातक उपाधि ।
6	गणित	गणित के साथ निम्ननिखित में से कोई दो विषय – भौतिकी/रसायन/इलेक्ट्रानिक्स/कम्प्यूटर साइंस/सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान एवं भू–गर्भ विज्ञान **अथवा** इंजीनियरिंग विषय में स्नातक जैसे – बी.ई./बी. टेक. ।

टीप :– 1. आरक्षण नीति :– आरक्षित श्रेणियों जैसे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्त श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को अर्हित अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी ।

2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में शिथिलता :– यदि शिक्षक (पंचायत) की नियुक्ति में बी.एड. उपाधिधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जायेगी :–

(क) कक्षा पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु नियुक्ति के लिए प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी नाम से जाना जाता हो) ।

(ख) कक्षा छठवीं से आठवीं तक अध्यापन हेतु नियुक्ति के लिए शिक्षा में एकवर्षीय उपाधि ।

उपरोक्त छूट 31 मार्च 2014 तक प्रभावशील रहेगी । ऐसी शिथिलता के फलस्वरूप नियुक्त शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर न्यूनतम अर्हता ग्रहण करनी होगी ।

3. अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) के न्यूनतम प्राप्त अंक :–

(क) स्नातक आवेदकों को कक्षा छठवीं से आठवीं में अध्यापन के लिये न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा ।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्त श्रेणी के स्नातक आवेदकों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा ।

4. आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।

5. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

6. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

7. छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है । यदि आवेदक किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल में कार्यरत हो तो रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन आवश्यक नहीं है परन्तु ऐसे आवेदकों को अपने नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

8. दस्तावेज सत्यापन के समय कक्षा 10 वीं. 12 वीं., स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड. एवं टी.ई.टी. परीक्षा की अंक सूची, रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र, छ.ग. मूल निवास प्रमाण पत्र, शासकीय/अर्द्धशासकीय / निगम/मण्डल के कर्मचारियो को नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.) से सत्यापित जाति प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रति (यदि उपलब्ध हो तो) प्रस्तुत करें । 10 रूपये के स्टाम्प पेपर में नोटरी से विवाह, जीवित संतान, प्रस्तुत किये जाने वाले शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की सत्यता के संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें ।

9.. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदो ंके लिए चयनित उम्मीदवारों को आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पं. रविशंकर शक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.) से सत्यापित जाति प्रमाण पत्र (यदि दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो) नियुक्ति तिथि से 06 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा । इस सत्यापन के अभाव में नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी ।

10. **आयु सीमा** – दिनांक 1 दिसम्बर 2012 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो । छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उच्चतम आयु सीमा में प्रदान की गई छूट शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के लिए भी नियमानुसार लागू होगा ।

11. **भर्ती का तरीका** –

11.1. शिक्षक (पंचायत) की नियुक्ति के लिए बारहवीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 20 अंक, स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक, बी.एड. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक, तथा टी.ई.टी. परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक प्रदान किया जावेगा । तथापि ऐसे आवेदक जिन्होंने चार वर्षीय एकीकृत शिक्षा का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, उन्हें स्नातक अथवा बी.एड. में प्राप्त पृथक–पृथक अंकों के स्थान पर कुल प्राप्तांक के प्रतिशत पर 65 अंक दिये जायेंगे ।

11.2. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला पंचायत का होगा ।

11.3. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

11.4. चयनित उम्मीदवार को पुलिस व्हेरिफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड का स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा ।

11.5. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति होगी। अतएव नियुक्ति के शर्तो के अनुसार कोई तथ्य गलत पाये जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है ।

11.6. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी ।

12. **ऑन लाईन** आवेदन करने के लिए – **www.zpraipur.in** वेबसाइट पर जाकर शिक्षक (पंचायत) का चयन करे तथा वेब पेज पर प्रदर्शित आवेदन को पूर्ण रूप से भरकर सबमिट (Submit) करें । **भरे हुए आवेदन पत्र का एप्लीकेशन आई डी के साथ प्रिंट ले लेवें ।**

13. **ऑन लाईन** आवेदन भरने में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 5.30 बजे के मध्य **हेल्प लाईन नम्बर 84350–00305** पर काल करें ।

14. आवेदन करने हेतु वेबसाइट **दिनांक 04.12.2012 से दिनांक 20.12.2012 तक** खुली रहेगी ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायपुर

पृ. क्रमांक /   / शि.स्था. / शि.क.नि. / जि.पं. / 2012   रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. मान. अध्यक्ष, जिला पंचायत रायपुर को सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग, छ.ग. शासन रायपुर को सूचनार्थ ।
3. संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ ।
4. कलेक्टर, जिला रायपुर / गरियाबंद / बलौदाबाजार को सूचनार्थ ।
5. जिला रोजगार अधिकारी जिला रायपुर / गरियाबंद / बलौदाबाजार के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रेषित ।
6. संचालक, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड रायपुर की ओर सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रेषित ।
7. सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास) जिला रायपुर / गरियाबंद / बलौदाबाजार के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रेषित ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर / गरियाबंद / बलौदाबाजार को सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रेषित ।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपदं पंचायत जिला रायपुर / गरियाबंद / बलौदाबाजार के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रेषित ।
10. जिला पंचायत नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायपुर